

कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल

पत्रांक-केयू/वि०नियो०/2026-27/ 322

दिनांक- 09/07/2026

नीलामी सूचना

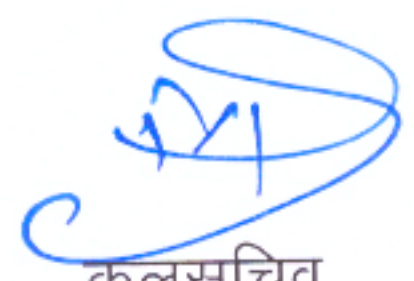
कुमाऊँ विश्वविद्यालय नैनीताल के प्रशासनिक भवन में एकत्रित निष्प्रयोज्य टिन एवं लोहे के ग़िल अनुमानित मात्रा 147.14 कुन्तल जिसका न्यूनतम मूल्य रु० 2,50,342.00 निर्धारित किया गया है को जैसा है जहाँ है कि नीलामी दिनांक 22.07.2026 समय मध्याह्न 12.00 बजे प्रशासनिक भवन में आयोजित की जानी है। इस हेतु इच्छुक व्यक्ति/फर्म द्वारा कार्य स्थल पर ~~इका~~ निष्प्रयोज्य सामग्री का निरीक्षण किया जा सकता है।

अन्य शर्तों एवं जानकारी हेतु विकास नियोजन अनुभाग से सम्पर्क किया जा सकता है।


कुलसचिव
कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल

प्रतिलिपि- सूचनार्थ एवं वृहद प्रचारार्थ चस्पा करने हेतु-

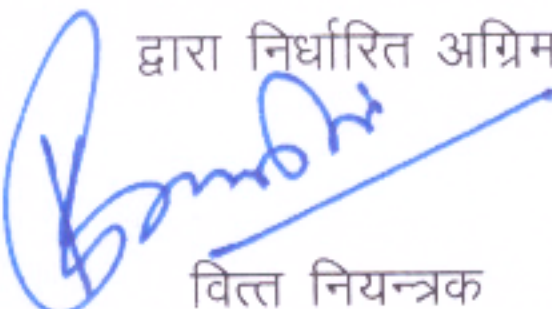
- 1-स्थानीय संवाददाता, उत्तर उजाला समाचार पत्र को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त सूचना को 6सेमी०X 4सेमी० में कुमाँऊँ संस्करण में प्रकाशित कर 10 प्रतिशन छूट प्रदान करते हुए बिल दो प्रतियों में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
- 2-कम्प्यूटर प्रोग्रामर को इस आशय से प्रेषित कि उक्त सूचना विश्वविद्यालय वेबसाइट पर अपलोड करें।
- 3-सूचना पट्ट, प्रशासनिक भवन, एवं डी०एस०बी० परिसर नैनीताल।

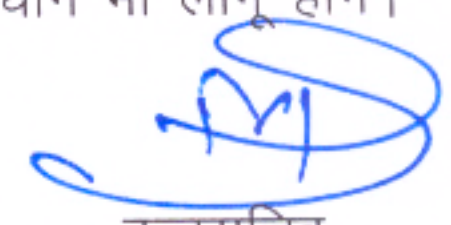

कुलसचिव
कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल



कुमाऊँ विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन में संग्रहित निष्प्रोयज्य टिनों एवं ग्रिल आदि की खुली नीलामी
दिनांक 22-07-2026 को कुमाऊँ विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन में सम्पन्न की जायेगी नीलामी की
शर्तें निम्न प्रकार हैं

1. नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने हेतु इच्छुक समस्त प्रतिभागी को आधार कार्ड या अन्य पहचान दस्तावेज एवं प्रवेश शुल्क जमा करने के उपरान्त प्रतिभाग करने दिया जायेगा। नीलामी में प्रतिभाग किये जाने हेतु प्रवेश शुल्क रु0 1000.00 निर्धारित है, जो अप्रतिदेय होगा। इच्छुक व्यक्ति को निर्धारित प्रवेश शुल्क विश्वविद्यालय के कैश काउन्टर में जमा करना होगा।
2. नीलामी प्रक्रिया में प्रतिभाग करने हेतु रु0 10,000.00 की धरोहर राशि निर्धारित है जो वित्त नियन्त्रक कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल के पद नाम से बन्धक होनी चाहिए जो एफ0डी0आर0 के रूप में हो तथा नैनीताल में देय हो। उक्त एफ0डी0आर0 प्रतिभागी द्वारा जमा करनी होगी।
3. नीलामी सामग्री हेतु बोली बंद होने पर उच्चतम बोलीदाता द्वारा की राशि का पच्चीस प्रतिशत नकद में अग्रिम भुगतान के रूप में जमा किया जाएगा। विशेष परिस्थितियों में नीलामी का संचालन करने वाला अधिकारी बिना कोई कारण बताए अग्रिम भुगतान के रूप में उच्च प्रतिशत (निविदा की सम्पूर्ण राशि तक) की मांग कर सकता है। यदि सफल बोलीदाता अग्रिम भुगतान करने में विफल रहता है, तो उसकी धरोहर राशि को जब्त कर लिया जाएगा। अग्रिम भुगतान के पश्चात् शेष राशि के भुगतान करने में विफल रहता है, तो उसका प्रवेश शुल्क जब्त कर लिया जाएगा। अग्रिम भुगतान के पश्चात् शेष राशि के भुगतान में चूक की स्थिति में, उसका भुगतान जब्त कर लिया जाएगा। इस प्रकार जब्त की गई राशि एवं अगल उच्चतम बोलीदाता द्वारा दी गई बोली का योग, उच्चतम बोलीदाता द्वारा दी गई बोली का योग, उच्चतम बोलीदाता की बोली के समतुल्य होने की स्थिति में नीलामी ठीक अगले उच्चतम बोलीदाता के पक्ष में स्वीकृत की जा सकती है।
4. नीलामी आयोजित करने वाले अधिकारी के पास बिना कोई कारण बताए विज्ञापित या परिसर में रखी किसी भी वस्तु के नीलामी को प्रत्याहरित करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
5. सक्षम प्राधिकारी या विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत नीलामी की बोली के अनुमोदन के पश्चात् शेष राशि को पंजीकृत सूचना की प्राप्ति के सात दिनों के भीतर बोलीदाता द्वारा विश्वविद्यालय के पक्ष में जमा कराया जाना होगा।
6. नीलाम की गई सामग्री का परिदान विश्वविद्यालय द्वारा पूर्ण एवं अंतिम भुगतान प्राप्त होने के बाद किया जायेगा तथा उसके बाद ही इसे हटाने की अनुमति सक्षम प्राधिकारी द्वारा दी जाएगी।
7. पूर्व निहित निबंधनों एवं शर्तों के संबंध में किसी भी विवाद की स्थिति या उसके अनुसरण में की गई या प्रस्तावित किसी भी कार्यवाही के प्रकरण में मा0 कुलपति जी द्वारा नामित व्यक्ति को मध्यस्थता हेतु निर्दिष्ट किया जाएगा, जिसका निर्णय अंतिम होगा एवं पक्षकारों पर बाध्यकारी होगा।
8. नीलामी के दौरान, यदि नीलामीकर्ता की राय है कि बोलीदाताओं द्वारा समूहन किया जा रहा है तथा नीलामी की जा रही सामग्री का उचित मूल्य प्राप्त नहीं हो रहा है, तो प्रक्रिया को अविलंब रोका जा सकता है।
9. किसी भी व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति के निमित्त नीलामी में बोली लगाने की अनुमति नहीं दी जायेगी जब तक कि उसके पास ऐसे किसी अन्य व्यक्ति द्वारा लिखित प्राधिकार ना हो जो नीलामी में उपस्थित हो तथा उसकी ओर से लगायी गयी बोली को अधिकृत या अनुसमर्पित करता हो।
10. यदि यथास्थिति सक्षम प्राधिकारी या विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत निविदा को अनुमोदन प्रदान नहीं किया जाता है तो सफल बोलीदाता द्वारा जमा की गई राशि उसे वापस कर दी जाएगी एवं उसके पक्ष में नीलामी को अमान्य माना जायेगा।
11. सक्षम प्राधिकारी उस निविदादाता के विरुद्ध ऐसी कार्यवाही करने का अधिकार सुरक्षित रखेगा जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित अग्रिम भुगतान जमा करने में विफल रहा है। इस संबंध में विधिक प्रावधान भी लागू होंगे।


वित्त नियन्त्रक
कु0वि0वि, नैनीताल


कुलसचिव
कु0वि0वि, नैनीताल